झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–652 वर्ष 2017

नरेंद्र नारायण सिंह .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य आवास बोर्ड, रांची
2.. प्रबंध निदेशक, झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड, रांची
3. भू–संपदा अधिकारी, झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड, रांची
4. राजस्व अधिकारी, झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड, रांची

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री अपरेश कुमार सिंह**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– मेसर्स समीर सौरभ, अधिवक्ता

उत्तरदा जे0एस0एच0बी0 के लिए :– श्री सचिन कुमार, अधिवक्ता

02 / 14.02.2017 याचिकाकर्ता और प्रतिवादी–बोर्ड के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

याचिकाकर्ता के वकील को राजस्व अधिकारी, झारखंड राज्य आवास बोर्ड, रांची को तत्काल रिट याचिका में प्रतिवादी सं0 4 के रूप में पक्षकार बनाने की अनुमति है, जिसके लिए प्रतिवादी के पंक्ति में याचिकाकर्ता के वकील द्वारा आवश्यक सुधार लाल स्याही से दिन भर में किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता 1,80,000/– रूपये की वापसी चाहता है जिसे प्रतिवादी–बोर्ड द्वारा एक भूखंड के आवंटन के लिए बयाना के रूप में जमा किया गया। याचिकाकर्ता ने उक्त राशि को अपने आवेदन, अनुबंध–1 के साथ धन रसीद दिनांक 09.08.2011 के द्वारा जमा करने का दावा किया है। लॉटरी के समापन के बाद, याचिकाकर्ता को भूमि आवंटित नहीं की गई थी। हालांकि, बोर्ड के प्रतिवादी–प्राधिकरण को आवंटन नहीं किए जाने पर बयाना धन वापस करने की आवश्यकता होती है। प्रतिवादी प्राधिकारी के समक्ष नियमित दौरे और अनुलग्नक–4 और 5 जैसे अभ्यावेदन के बावजूद, राशि वापस नहीं की गई है। इसलिए, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय से सम्पर्क किया है।

प्रतिवादी–बोर्ड क विद्वान अधिवक्ता यह स्वीकार करते हैं कि ऐसे उदाहरण दुर्लभ हैं जहां लॉटरी के बाद आवंटन न होने के बावजूद, रिफंड नहीं किया गया है। ऐसे आवेदकों को रिफंड की मांग करते समय कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं। हालाँकि, याचिकाकर्ता को शिकायतों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी/राजस्व अधिकारी, झारखंड राज्य आवास बोर्ड, रांची, प्रतिवादी सं0 4 से सम्पर्क करने के लिए निर्देशित किया जा सकता है, जिस पर कानून के अनुसार विचार किया जा सकता है, यदि याचिकाकर्ता मांगे गए अपेक्षित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में सक्षम है।

पार्टियों के दलीलों और यहां उपर दिए गए प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने पर, याचिकाकर्ता को सहायक दस्तावेजों के साथ अभ्यावेदन के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी/राजस्व अधिकारी, झारखंड राज्य आवास बोर्ड, रांची, प्रतिवादी सं0 4 से सम्पर्क करने की स्वतंत्रता दी जाती है। सक्षम प्राधिकारी/राजस्व अधिकारी, झारखंड राज्य

आवास बोर्ड, रांची, प्रतिवादी सं0 4, उचित समय के भीतर कानून के अनुसार उस पर विचार करेगा और यदि याचिकाकर्ता का दावा वास्तविक और स्वीकार्य पाया जाता है, तो उसके बाद चार सप्ताह की अवधि के भीतर विचाराधीन राशि की वापसी का भुगतान किया जाएगा।

तद्नुसार, रिट याचिका का निपटान किया जाता है।

(अपरेश कुमार सिंह, न्याया0)